



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122020-223806
CG-DL-E-19122020-223806

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4063]
No. 4063]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2020/अग्रहायण 27, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2020/AGRAHAYANA 27, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4626(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आंध्र प्रदेश राज्य के ईस्ट गोदावरी जिले में कि.मी. 169.7 से 236.15 तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 30 (भद्राचलम से कुंता) के निर्माण (चौड़ीकरण पेव्ड शोल्डर सहित दो/चार लेन में उन्नयन आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-30 (भद्राचलम से कुंता) पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उपजिलाधिकारी / राजस्व संभागीय अधिकारी, यतापका	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	चिटूरू	1 कटुकपल्ली

[फा. सं. RW/NH-12037/22/2016-AP/P-7]
राजेश गुप्ता, निदेशक

S.O. 4626(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (widening to 2 laning with paved shoulder/four-laning etc.,) maintenance, management and operation from Km. 169.7 to km. 236.15 of the National Highway No.30 (Bhadrachalam to Kunta) of East Godavari District in the State of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 30 (Bhadrachalam to Kunta) in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Sub Collector / Revenue Divisional Officer, Yetapaka	169.7KM To 236.15KM	ANDHRA PRADESH	EAST GODAVARI	Chinturu	1	Katukapalle
					2	Edugarallapalle	
						3	Gangannametta
						4	Sarivela
						5	Tummala
						6	Singanagudem
						7	Kannapuram
						8	Chatti
						9	Narasingapeta
						10	Kannai gudem
					Yatapaka	1	Tallagudem
						2	Lingalapalle
						3	Ramgopalapuram
						4	Burguvai
						5	Laxmipuram
						6	Narasingapeta
						7	Seethampeta
						8	Gundala
						9	Pinapalle
						10	Rayannapeta
						11	Chowdavaram
						12	Chinnanallakunta
						13	Nellipaka

[F. No. RW/NH-12037/22/2016-AP/P-7]

RAJESH GUPTA, Director